न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 21 / 2013 जिला सीकर

भागीरथ पुत्र गणपतराम, जाति जाट, निवासी गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. केसर सिंह पुत्र सुखसिंह
2. जगदीश सिंह (मृतक)
   2/1 सोन कंवर पत्नी जगदीश सिंह
   2/2 विकम सिंह पुत्र जगदीश सिंह
   2/3 शंकर सिंह पुत्र जगदीश सिंह, समस्त जाति राजपूत, निवासी रामू का बास, बाईपास सर्किल के पास, गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
   2/4 सन्तोष कंवर पुत्र जगदीश सिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह निर्वाण, निवासी जुराडा, तहसील व जिला सीकर ।
   2/5 दीपू कंवर पुत्री जगदीश सिंह पत्नी नन्दू सिह निर्वाण, निवासी निर्वाणों की ढाणी तन अभयपुरा, तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।
3. बदन सिंह पुत्र सुखसिंह, जाति राजपूत, निवासी रामू का बास, बाईपास सर्किल के पास, गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर ।
4. पार्वती पत्नी कल्याण सिंह (मृतक नाम हजफ)
5. तहसीलदार सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.6.2012

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट्स श्री विजय कुमार जांगीड एवं श्री रमन कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक– 25.3.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 26.6.2012 के खिलाफ धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 15.4.2013 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम गोकुलपुरा, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 84 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 427 रकबा 12 बीघा एवं खसरा नम्बर 427/509 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा

Scanned by CamScanner

के खातेदार सुखसिंह, किशन सिंह, कल्याण सिंह, पहप सिंह पि. सूरसिंह थे । उक्त खातेदारान में से खातेदार पहप सिंह लाऔलाद फौत होने पर पहप सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 241 तहसीलदार सीकर ने पहप सिंह के एक भाई कल्याण सिंह जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती के पति है, के नाम दिनांक 5.2.1974 को तस्दीक कर दिया ।

प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.1974 से व्यथित होकर पहप सिंह के भाई सुखसिंह के पुत्रान केशर सिंह, जगदीश सिंह व बदन सिंह द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 30.8.2018 को करीबन 36 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जिस पर जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.6.2012 पारित किया कि "मूल नामांतरकरण संख्या 241 ग्राम गोकुलपुरा, तहसील सीकर दिनांक 5.2.1974 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमि के 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार पहप सिंह का स्वर्गवास होने पर विरासत के आधार पर उक्त नामांतरकरण पहप सिंह के भाई कल्याणसिंह के नाम से स्वीकार किया गया है । उक्त नामांतरकरण के कॉलम संख्या 16 में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि पहपसिंह नाऔलाद फौत हो गया, कोई लडका व लडकी व औरत नहीं है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 बी व अनुसूची 2 के कम संख्या 2 (3) के अनुसार सगे भाई उत्तराधिकारी होते हैं । प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक पहप सिंह के भाई कल्याण सिंह अकेले के नाम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है जबकि अपील मीमों में अंकित सजरा खानदान के अनुसार मृतक पहप सिंह के दो भाई किशन सिंह व सुखसिंह और है । रेस्पोंडेन्ट ने बावजूद सूचना के अपीलान्ट्स के कथनों का कोई खण्डन नहीं किया है । इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व मृतक पहप सिंह के विधिक वारिसान बाबत कोई जॉच की हो या अपीलान्ट्स को कोई नोटिस व सूचना दी हो, प्रमाणित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रथम दृष्टया उचित नहीं कहा जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.2.1974 बाबत नामांतरकरण संख्या 241 ग्राम गोकुलपुरा निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि स्वर्गीय पहपसिंह के विधिक वारिसान की जॉच करें तथा पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अपना अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें" ।

जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.6.2012 से व्यथित होकर अपीलान्ट भागीरथ पुत्र गणपराम जाट जिसने रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती पत्नी कल्याण सिंह से विवादित भूमि कय की है, के द्वारा यह द्वितीय अपील धारा 96 सी.पी.सी. एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 15.4.2013 को मियाद बाहर प्रस्तुत करते हुये स्वीकार की जाकर निर्णय

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.6.2012 निरस्त करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट केसर सिंह दगौहरा की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष सरासर मियाद बाहर थी । धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 9.8.2010 को होना बताई थी । रेस्पोंडेन्ट ने विवादित भूमि की पूर्व खातेदार पार्वती देवी के विरूद्व 1994 में दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर पार्वती के अधिकारों को चुनौती दी थी , लेकिन भूमि अपीलान्ट को पार्वती देवी द्वारा दिनांक 1.9.1994 को विक्रय की थी । उक्त विक्रय पत्र को चुनौती देते हुये दिनांक 26.9.94 को दावे व प्रार्थना पत्र में संशोधन करवाया जो स्वीकार हुआ तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा राजस्व अपील अधिकारी तक से निरस्त हुआ । ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी , लेकिन गलत शपथ पत्र व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई जॉच व गोर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अपीलान्ट ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पार्वती देवी से खरीदने के कारण वे विधिवत क्रेता होने से आवश्यक पक्षकार थे , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपील पेश की थी, जबकि अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अपील नहीं चल सकती थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 36 साल के निराशाजनक रूप से विलम्बित थी तथा विलम्ब का कारण भी सत्य व संतोषजनक नहीं था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा किया गया दावा भी खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में भी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के अधिकार समाप्त हो चुके हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.6.2012 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधिविरूद्व तथा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने खारिज किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 कायम रखा जावे ।

प्रति
राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 केसर सिंह के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2/1 से 2/5 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पहप सिंह की विरासत का नामांतरकरण संख्या 241 रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती देवी के पति कल्याण सिंह के नाम खोला गया था तथा कल्याण सिंह का देहान्त होने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती देवी पत्नि कल्याण सिंह ही एक मात्र उत्तराधिकारी थी

Scanned by CamScanner

जिसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 बनाकर विधिवत तामिल करवाकर गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय हुआ है , जो विधिसम्यक है । विधिविरूद्ध प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.74 से रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती देवी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । उनका कहना था कि धारा 8 की उप धारा बी द्वितीय की अनुसूची के वर्ग 2 की कम संख्या 2 (3) के अनुसार मृतक के सगे भाई उत्तराधिकारी होते हैं । तहसीलदार ने पहप सिंह के तीनों भाईयों के नाम नामांतरकरण नहीं कर अकेले रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 के पति के नाम नामांतरकरण स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है , जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय से निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक होने से प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध था । अवैध एवं शून्य नामांतरकरण को चुनौती देने के लिये विधिक रूप से कोई समय सीमा बाधित नहीं है तथा प्रकरण गुणावगुण पर ठोस होने से मियाद के तकनीकी बिन्दु पर विधि के सारवान प्रश्न को गौण नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्यक है । उनका कहना था कि पहप सिंह के नाऔलाद निर्वसियत फौत होने के बाद उसके सगे भाई सुख सिंह, कल्याण सिंह, किशन सिंह समान रूप से हिस्सा प्राप्त करने के हकदार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 बी व अनुसुची 2 के कम संख्या 2 (3) से हैं , जिनके अधिकार अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 को किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हो सकते । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.6.2012 उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी.एन. जे. 2002 (3) पेज 1357, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 432, आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 766, आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 850, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 (2) आर.जे. पेज 1142, आर.आर.डी. 1997 पेज 512, आर.एल.डब्ल्यू. 2003 (1) आर.जे. पेज 79, आर.एल.डब्ल्यू. 2010 (2) आर.जे. पेज 801 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार पहप सिंह की विरासत के नामांतरकरण का है । खातेदार पहप सिंह नाऔलाद व निर्वसियत फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.1974 को तहसीलदार सीकर ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती देवी के पति कल्याण सिंह जो मृतक पहप सिंह का भाई था, के नाम स्वीकार कर दिया । रेस्पोंडेन्ट्स का कहना है कि विवादित भूमि के खातेदार सुखसिंह, किशन सिंह,

Scanned by CamScanner

कल्याण सिंह व पहप सिंह पि. सूरसिंह थे इसलिये पहप सिंह के नाऔलाद व निर्वसियत फौत होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पहप सिंह की विरासत का नामांतरकरण उसके उक्त भाईयों के नाम से तस्दीक होना चाहिये था , लेकिन तहसीलदार ने केवल एक भाई कल्याण सिंह के नाम ही तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.1974 के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट केशर सिंह वगैहरा की करीबन 36 साल की विलम्बित अपील को जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.6.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.1974 निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि स्व. पहप सिंह के विधिक वारिसान की जॉच करें तथा पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करें । प्रकरण में अपीलान्ट भागीरथ ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 पार्वती पत्नी कल्याण सिंह से कय की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोंडेन्ट केशर सिंह वगैहरा द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कश्तकारी अधिनियम उनवानी केशर सिंह वगैहरा बनाम पार्वती देवी वगैहरा में उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 29.4.1995 पारित कर खारिज किया है तथा इसके खिलाफ केसर सिंह की अपील न्यायालाय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 11.3.1997 द्वारा खारिज की जाकर उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 29.4.95 को यथावत रखा गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट भागीरथ विवादित भूमि की खातेदार मु. पार्वती से विवादित भूमि जरिये विकय पत्र से विधिवत केता है और विकय पत्र के आधार पर अपीलान्ट भागीरथ का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अपीलान्ट भागीरथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.6.2012 से प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 241 दिनांक 5.2.74 निरस्त कर प्रकरण स्व. पहप सिंह के विधिक वारिसान की जॉच कर , पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित किया है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि का विधिवत केता होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है जिसे भी न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में तहसीलदार सीकर के समक्ष अपीलाधीन निर्णय के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 26.6.2012 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार सीकर को

Scanned by CamScanner

निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित उभयपक्षकारान के साथ ही इस अपील के अपीलान्ट भागीरथ पुत्र गणपतराम को भी सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करें ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

जयपुर

Scanned by CamScanner